—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 120 / 2025

उनवान

1. राजेन्द्र माली पुत्र ओमप्रकाश माली जाति माली निवासी ग्राम बलवंता तहसील, अजमेर
2. भंवरी पत्नी रामस्वरूप
3. आनन्दीलाल पुत्र रामस्वरूप
4. गिरीराज पुत्र रामस्वरूप समस्त जाति खाती निवासी ग्राम कानपुरा, नसीराबाद

——वादीगण :—जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. नाथू पुत्र छीतर जाति गुर्जर निवासी ग्राम बैवंजा, नसीराबाद (फौत जरियें वारिसान)

1/1. हरचन्द पुत्र नाथू
1/2. शिवराज पुत्र नाथू समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम बैवंजा, नसीराबाद

2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 जरियें अधिवक्ता श्री रणजीत रावत
2 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 9.11.25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बैवंजा में वादीगण की खातेदारी काश्मकारी आराजी स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

चौसाला ख.न.	रकबा	वंर्किग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
543	7—11—10	833 मिन	1—19—0	1458	0.31
		834 मिन	0—11—0	1463	0.24
				1460	0.06
				1457	0.03
		835 मिन	0—6—0	1461	0.05
				1462	0.30
544	3—12—0	835 मिन	2—2—0	1461	0.05
				1462	0.30
		834 मिन	1—[illegible]—0	1463	0.24
				1460	0.06
				1457	0.03
		833 मिन	0—1—[illegible]	1459	0.0[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.11.14 10:09:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उपरोक्त आराजी के चौसाला खसरा नम्बर 543 रकबा 7–11–0 व 544 रकबा 3–12–10 की भूमि के वर्किंग खसरा नम्बर व हाल खसरा नम्बर की आराजी चौसाला मानचित्र में सही रूप से दर्शित है। किन्तु चौसाला जमाबंदी के खसरा नम्बर 543 के वर्किंग खसरा नम्बर 833 के हाल खसरा नम्बर 1458 जो वादीगण की खातेदारी का है। व हाल खसरा नम्बर 1459 को राजस्व मानचित्र में त्रुटिपूर्ण तरीके से अंकित कर दिया। हाल राजस्व मानचित्र में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादी संख्या 1 आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का राजस्व मानचित्र दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वाद विचारण के दौराने प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु हो जाने के कारण विधिक वारिस अभिलेख पर लिये गये। प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान ने प्रकरण में इकबालिया जवाब पेश किया। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम बैवंजा के हाल खसरा नम्बर 1457, 1460, 1461, 1462 व 1463 वादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी की है। हाल खसरा नम्बर 1458 वादी संख्या 3 की खातेदारी की है। हाल खसरा नम्बर 1459 प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी का है। उक्त आराजी आस–पास स्थित है। वादीगण का कथन है कि आराजी मुतनाजा का हाल राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण है। प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रकरण में इकबालिया जवाब पेश किया है। वादीगण का कथन है कि चौसाला जमाबंदी के खसरा नम्बर 543 के वर्किंग खसरा नम्बर 833 के हाल खसरा नम्बर 1458 जो वादीगण की खातेदारी का है। व हाल खसरा नम्बर 1459 को राजस्व मानचित्र में त्रुटिपूर्ण तरीके से अंकित कर दिया। हाल राजस्व मानचित्र में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादी संख्या 1 आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है। प्रकरण में वाद के तथ्यों का कोई खण्डन नही है। राज. पैरोकार ने भी वाद का खण्डन नही किया है। नक्शा दुरूस्ती से राजहित प्रभावित नही होता है। आराजी मुतनाजा का रकबा भी जमाबंदी में परिवर्तित नही होना है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से वाद के कथनों की ताईद होती है।

उक्तानुसार वादीगण का वाद **''स्वीकार''** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम बैवंजा के हाल खसरा नम्बर 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463 के हाल व साबिक राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटी को उक्तानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.11.14 10:09:51 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

राजेन्द्र बनाम नाथू

दावा बाबत :—88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर —120 / 2025
पेश करने की दिनांक —11.6.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई रणजीत रावत व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम बैवंजा के हाल खसरा नम्बर 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463 के हाल व साबिक राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटी को उक्तानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 7 माह 11 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.11.14 10:09:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद